

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/भूगोल/डीपीसी पदस्थापन/ 2017-18/ दिनांक 26/08/2017 के द्वारा अशोक कुमार व्याख्याता भूगोल को पदोन्नति पर पदस्थापन राबाउमावि, राजगढ, अलवर किया गया था, इनकी परिस्थितियों के कारण (लकवाग्रस्त होने पर) सहानुभूति दृष्टिकोण के मद्देनजर पदस्थापन में सशोधन कर नवीन पदस्थापन राउमावि, दिवाकरी,(उमैरण) अलवर किया जाता है।

उक्त कार्मिकों को दिनांक 10.05.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी। प्रधानाचार्य राउमावि, दिवाकरी,(उमैरण) अलवर को निर्देशित किया जाता है कि वह शाला में भूगोल का स्पष्ट पद रिक्त होने पर ही व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर सूचना इस कार्यालय व शाला दर्पण में अपडेट करने की व्यवस्था करावें।




(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/भूगोल/डीपीसी वर्ष 2017-18/पदस्थापन दिनांक 01-05-18
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उपनिदेशक, (माध्य), जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य), अलवर
3. संबंधित संस्था प्रधान, राबाउमावि, राजगढ, अलवर /राउमावि, दिवाकरी,(उमैरण) अलवर
4. संबंधित कार्मिक, अशोक कुमार व्याख्याता भूगोल
5. अनुभाग अधिकारी ओएसी प्रभाग वरिष्ठता क्रमांक 3034 अवधि 2008-2009 के कार्यग्रहण नहीं आदेश को प्रत्याहरित करते हुए नवीन आदेश सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा याचिका सख्या 14040/16 में दायर याचिका में याचिकार्थीयापदमावती चौहान में पारित निर्णय दिनांक 21/8/17 में याचिकार्थीया के स्थानांतरण आदेश को अपास्त किया गया है । अतः पूर्व स्थानांतरण आदेश दिनांक 10/10/16 से पदमावती चौहान व्याख्याता, अर्थशास्त्र का राबाउमावि दयानंद मार्ग बीकानेर से राउमावि उपनी श्रीडुंगरगढ किये जाने के आदेश को प्रत्याहरित करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा प्रदत्त निर्णय की पालना में दोहरा पदस्थापन नहीं होने की दशा में पदमावती चौहान व्याख्याता, अर्थशास्त्र को राबाउमावि दयानंद मार्ग बीकानेर में यथावत किया जाता है । भविष्य में अन्यत्र स्थानांतरण किये जाने पर उक्त आदेश बाधक नहीं होगा ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:—शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/पदमावती/17-18 दिनांक 01/5/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. उपनिदेशक, (माध्य) शिक्षा बीकानेर
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर
3. सहायक निदेशक, विधि प्रभाग माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को उनके पत्र क्रमांक शिविरा/मा/विधि/बी-2/जोध/29858/आई/2016 दिनांक 20/1/17 की पालना में सूचनार्थ
4. संबंधित संस्था प्रधान, राबाउमावि दयानंद मार्ग बीकानेर/ राउमावि उपनी श्रीडुंगरगढ
5. संबंधित पदमावती चौहान व्याख्याता, अर्थशास्त्र राबाउमावि दयानंद मार्ग बीकानेर
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, विधि, राजकीय मुद्रणालय के पास, जोधपुर ।
7. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर